

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 अगस्त 2014—भाद्र 1, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. डी-15-24-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2453-5659-चौदह-1, दिनांक 26 अप्रैल 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, बड़वानी के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

नगर पंचायत सिलावद, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.023 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	614/1	2.023
		योग . . . 2.023

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—खसरा क्रमांक 521/12 एवं 612/2 की भूमि.

दक्षिण में—खसरा क्रमांक 620 की भूमि.

पूर्व में—खसरा क्रमांक 614/2 की भूमि.

पश्चिम में—शेष भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. डी-15-24-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 23 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd August 2014

No. D. 15-24-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Badwani has been established by this department's Notification No. 2453/5659/XIV-1, dated 26th April 1969, shall be sub-market yard namely:—

PLACE

An area of 2.023 Hectore's land of below mentioned Khasra number at Nagar Panchayat Silavad in Tehsil Badwani of District Badwani:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hector)
(1)	(2)	(3)
1	614/1	2.023
Total . .		2.023

BOUNDED BY

On the North by—Land of Survey No. 521/12 & 612/2.

On the South by—Land of Survey No. 620.

On the East by—Land of Survey No. 614/2.

On the West by—Rest Land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. डी-15-24-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल 1969 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबन्ध में मंडी समिति बड़वानी, जिला बड़वानी के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) ग्राम पंचायत सिलावद, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

- (1) सिलावद, (2) पोखाल्या, (3) होलगांव, (4) सिंधीखोदरी, (5) हिरकराय, (6) रेहगून, (7) रायचुली,
(8) धमारिया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. डी-15-24-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 23 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd August 2014

No. D. 15-24-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard *vide* this department's notification even Number, dated 26th April 1969, the following area of Badwani of District Badwani shall be sub-market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Silavad in Tehsil of Badwani, District Badwani.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub-market yard namely:—
 - (1) Silavad, (2) Pokhalya, (3) Holgowon, (4) Sindhikhodari, (5) Hirakroy (6) Rehgund, (7) Raychuli, (8) Dhamariya.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.